राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1415/2014/सिरोही.
2. अपील संख्या – 1416/2014/सिरोही.
3. अपील संख्या – 1417/2014/सिरोही.
4. अपील संख्या – 1418/2014/सिरोही.

मैसर्स बिनानी सीमेंट लिमिटेड,
बिनानीग्राम, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :
28/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 022, 023, 026 व 027/आरवेट/सिरोही/13–14 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 24.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें तथ्यों एवं विधि का समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण संयुक्त निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा दिनांक 08.04.2011 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान माईनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त माल यथा डम्पर, टिपर्स, एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स व अन्य एसेसरीज की खरीद पर चुकाये गये वैट की आई.टी.सी. क्लेम की गयी है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में कैप्टिव पावर प्लांट में प्रयुक्त हाई स्पीड डीजल (HSD) लिग्नाइट और केमिकल के क्रय पर भी आई.टी.सी को रिवर्स किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश

लगातार..............2

वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 18, 61 व 65 के तहत पारित करते हुए क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया, साथ ही देय कर अदेय रहने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से आई.टी.सी. क्लेम किया जाना अवधारित करते हुए धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	रिवर्स + आरोपित		
			कुल कर	ब्याज	शास्ति
1415/2014	09.09.2013	2007–08	23,67,176	17,04,367	47,34,352
1416/2014	09.09.2013	2008–09	20,13,488	12,08,093	40,26,976
1417/2014	13.01.14/23.01.14	2009–10	50,59,530	26,30,956	1,01,19,060
1418/2014	13.01.14/23.01.14	2010–11	50,03,278	22,01,311	1,10,06,556

3. उक्त पारित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2014 के द्वारा माईनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त माल पर चाहे गये आई.टी.सी. के बिन्दु पर आरोपित रिवर्स कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। HSD लिग्नाइट एवं केमिकल से संबंधित आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच कर एवं दस्तावेजों का सत्यापन कर आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण दिनांक 08.04.2011 की जांच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 तक के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित किये गये हैं, जो अविधिक हैं, क्योंकि इन वर्षों के आदेश पूर्व में ही पारित किये हुए थे, ऐसी स्थिति में प्रकरण अधिनियम की धारा 26 के तहत ही reopen किये जा सकते थे।

6. विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत लिखित बहस एवं आधारों को उदृत करते हुए कथन किया कि व्यवसायी एक सीमेंट निर्माता कम्पनी है जिसके द्वारा स्वयं की खानों से लाईम स्टोन का खनन किया जाता है जो केवल उनके सीमेंट निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इस तरह माईन्स से लाईम स्टोन के खनन से प्रारम्भ कर अन्तिम रूप से सीमेंट के निर्माण करने का कार्य किया जाता है जो एक integrated process होने से यह निर्माण का अनिवार्य प्रोसेस होने से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त मशीनरी एवं पार्ट्स कम्पनी के केपिटल

लगातार..............3

गुड्स होने से इसकी खरीद पर चुकाये गये कर की आई.टी.सी. की पात्रता है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने इसे अविधिक रूप से निरस्त किया है अतः उक्त आदशों को अपास्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के ही कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित प्रकरण, जो उक्त सर्वेक्षण के आधार पर पारित किये गये समस्त आदेशों का प्रथम वर्ष था, उस प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1320/2013/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014** में इन्हीं बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। साथ ही HSD एवं केमिकल तथा लिग्नाइट के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विधि अनुसार करारोपण की कार्यवाही करें। इस तरह अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. उक्त समस्त विवादित आदेशों के प्रकरण सर्वेक्षण दिनांक 28.04.2011 से सम्बन्धित हैं। उस सर्वेक्षण में यह विवाद किया गया था कि उक्त कम्पनी द्वारा सीमेंट के निर्माण हेतु लाईम स्टोन की खानों से जो खनन कार्य किया गया है वह 'Manufacture' की परिभाषा में नहीं होने से खनन गतिविधि के लिये प्रयुक्त मशीनरी एवं पार्ट्स को 'केपिटल गुड्स' की श्रेणी में नहीं माना जा सकता क्योंकि अधिनियम की धारा 2(7) में "Capital Goods' के लिये दी गई परिभाषा में इन्हीं Plant & Machinery को सम्मिलित किया गया है जो Manufacture के कार्य में प्रयुक्त होती है एवं धारा 2(22) में "Manufacture" को परिभाषित किया गया है, जिसमें केवल वे कार्य एवं प्रक्रिया ही सम्मिलित है जिससे किसी ''नई वस्तु'' का निर्माण होता है। इसी तरह कच्चा माल (Raw material) भी धारा 2(29) में परिभाषित है जिसमें केवल वे ही वस्तु सम्मिलित होती है जो निर्माण में सीधे प्रयुक्त होती है। अपीलार्थी द्वारा जो मशीनरी एवं कच्चा माल (Fuel & lubricant) माईनिंग में कार्य में लिया है, "Manufacture" का कार्य नहीं होने से "Capital Goods" एवं "Raw material" नहीं माने गये हैं।

लगातार..............4

10. उक्त बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक के कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, उसमें से वर्ष 2006–07 की अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर वाणिज्य कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–द्वितीय द्वारा कर बोर्ड में द्वितीय अपील पेश की गयी थी, जिसमें उक्त अपीलों से हुबहु आधार थे जिसकी सुनवाई कर कर बोर्ड द्वारा दिनांक 26.06.2014 को आदेश पारित कर माईनिंग के कार्य की सीमा तक प्रयुक्त मशीनरी एवं कच्चे माल (Consumables, fuel & lubricant) पर आई.टी.सी. का लाभ नहीं देना विधिक माना गया, परन्तु आई.टी.सी. का गलत लाभ लेने के बिन्दु पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। इस तरह उक्त प्रकरणों में विवादित बिन्दुओं पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया था एवं अपीलीय आदेश को अपास्त किया गया था। इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई है अतः व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई परन्तु कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के उसी सर्वेक्षण एवं उसी विवादित बिन्दु पर पूर्व में निर्णय किया जा चुका है अतः ये समस्त प्रकरण कर बोर्ड के आदेश से कवर्ड होने से इसी अनुसार निष्पादित किये जाते हैं।

11. यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1320/2013/सिरोही (बिनानी सीमेंट) में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर की हुई है, जिस पर निर्णय अब तक लम्बित है। कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2014 के निर्णय के मुख्य अंशों का उद्धरण सुलभ संदर्भ हेतु किया जाना उचित होगा, जो निम्नांकित है :–

> "13. ....हस्तगत प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह तर्क कि अवधि का मूल निर्धारण आदेश वृत्त के नियमित निर्धारण अधिकारी (वा.क.अ., विशेष वृत्त–पाली) द्वारा बहीयात में अंकित संव्यवहारों के प्रकाश में, अधिनियम की धारा 24 के तहत् पारित किया जा चुका है। पुनः प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा अविधिक रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, अधिनियम की धारा 25 के तहत् विवादाधीन निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। यदि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को पूर्व में निर्धारण किये गये आवर्त के संबंध में निर्धारण आदेश पारित करना था तो उक्त आदेश अधिनियम की धारा 26 के तहत् करना चाहिये था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 26 के तहत् निर्धारण आदेश उसी स्थिति में ही

लगातार..............5

पारित किया जा सकता है जब अधिनियम की धारा 26(1)(क)(ख)(ग) के तहत् कोई कर निर्धारण करने से छूट गया हो या फिर किसी कारणवश छूट गया हो, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त स्थिति नहीं है बल्कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के अनुसार करापवंचन की मंशा के तहत् अविधिक रूप से आगत कर का मुजरा लिया गया था जो अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय नहीं था। इस संबंध में सशक्त अधिकारी व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानानुसार उचित रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, करापवंचन का अभियोग दर्ज कर, कार्यवाही की गयी है। अतः अधिनियम की धारा 25 के विशिष्ट प्रावधानानुसार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया गया है। फलस्वरूवरूप, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

14. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में सीमेंट का विनिर्माण कर, राज्य में एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान खानों (mines) से खनन कार्य में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी मय पार्टस व एक्सेसरिज में प्रतिस्थापन के लिये राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से अतिरिक्त पुर्जे व लुब्रीकेन्ट क्रय कर, उक्त पर अदा किये गये वैट का आगत कर का मुजरा चाहा गया था जिसे नियमित वृत्त अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनयम की धारा 25 के तहत् प्रकरण दर्ज कर, रिवर्स कर की मांग राशि कायम की गयी।

15. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण, धारा 2(29) के तहत् कच्च माल एवं धारा 2(7) के तहत् पूंजीगत वस्तुओं (केपीटल गुड्स) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जिन्हें अधिनियम में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(22) **"manufacture"** includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

2(7) **"Capital Goods"** means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the official Gazette.

2(29)"raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;

लगातार..............6

निर्माण की परिभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि माईनिंग में कोई पृथक एवं विशिष्ठ रूप से भिन्न वस्तु नहीं निर्मित होती है, इसलिए माईनिंग/खनन को विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं गया है।

16. जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **16 एस.टी.सी. 259** का प्रश्न है, उक्त हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी) के तहत् रियायती दर से क्रय हेतु अनुज्ञेय खरीदों का बिन्दु विवादित था कि उन खरीदों को पंजीयन प्रमाण–पत्र में दर्ज किया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मैसर्स इण्डियन कॉपर लि0 भी कॉपर के उत्खनन व निर्माण प्रक्रिया में संलग्न थी तथा कम्पनी द्वारा लोकोमोटिव व वाहनों तथा उनके पुर्जों व टायरों को उक्त प्रावधानान्तर्गत 8(3)(बी) के तहत प्रविष्ठिकृत कराना चाहते थे तथा उनका तर्क था कि लोकोमोटिव व वाहन दोनों ही प्रक्रियाओं यथा उत्खनन व निर्माण तथा निर्मित माल को स्टोरेज तक ले जाने में प्रयुक्त हो रहे थे। इस संबंध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी) का मूल पठन इस प्रकार है:–

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी).–[***] are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for re-sale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunications network or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power ;

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत् खनन तथा निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त दोनों प्रकार के लिये कच्चे माल का प्लॉट मशीनरी व प्रोसेसिंग गुड्स पर रियायती दर अनुज्ञेय थी।

17. उपर्युक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के इस अंश से स्थिति स्पष्ट हो जाती है :–

"..........It is in the circumstances difficult to appreciate the ground on which the High Court sought to exclude from the "Locomotives and motor-vehicles" those vehicles which were used by the Corporation after the mining operations were concluded and before the manufacturing process commenced, and those which were used in carrying finished products. There was not even an averment that vehicles which were used for the excluded purposes were different from the vehicles used in carrying and removing raw materials during the process of manufacture and vehicles used underground and on the surface in mining operations. This by itself would be sufficient to reject the reservation made by the High Court. We are also of the opinion that

लगातार..............7

in a case where a dealer is engaged both in mining operations and in the manufacturing process-the two processes being interdependent it would be impossible to exclude vehicles which are used for removing from the place where the mining operations are concluded to the factory where the manufacturing process starts. It appears that the process of mining ore and manufacture with the aid of ore copper goods is an integrated process and there would be no ground for exclusion from the vehicles those which are used for removing goods to the factory after the mining operations are concluded. Nor is there any ground for excluding locomotives and motor-vehicles used in carrying finished products from the factory. The expression "goods intended for use in the manufacturing or processing of goods for sale" may ordinarily include such vehicles as are intended to be used for removal of processed goods from the factory to the place of storage. If this be the correct view, the restrictions imposed by the High Court in respect of the vehicles and also the spare parts, tyres and tubes would not be justifiable. We are, therefore, of the opinion that the Corporation was entitled to specification as set out in the petition and explained in annexure B-2 to the petition in respect of items (i), (ii) and (vi)."

उक्त निर्णय में वाहनों का प्रयोग उत्खनन व विनिर्माण दोनों ही प्रक्रियाओं से सम्बन्धित होने की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्बन्धित प्रावधान के तहत इनका इन्द्राज पंजीयन प्रमाण–पत्र में अनुज्ञेय माना है।

18. इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया है कि :-

"We are also of the opinion that in a case where a dealer is engaged both in mining operations and in the manufacturing process-the process being interdependent-it would be impossible to exclude vehicle which are used for removing from the place where the mining operations are concluded to the factory where the manufacturing process starts" The Hon'ble Apex Court further held that "The expression **"goods intended for use in the manufacturing and processing of goods for sale"** may ordinarily include such vehicles as are intended to be used for removal of processed goods from the factory to the place of storage". The Hon'ble Court very categorically held that when two process are though interdependent but are separate and when one process of mining ends, the other process of manufacturing starts. The Hon'ble Court allowed concessional purchase of the vehicle which was connecting both the processes and was not exclusively used in mining activity.

लगातार..............8

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दोनों कार्यों अर्थात् खनन व वि–निर्माण कार्यों को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रयुक्त माल पर निम्न प्रकार से विभाजित कर, आगत कर का मुजरा अनुमत किया है समझा जा सकता है, विवादित माल यदि निम्न प्रकिया में काम में लिये गये हैं तो :–

A – Mining of Lime Stone **(Mining Activity Ends – ITC reveresed)**

B - Travelling of Raw Material to Manufacturing Plant – **ITC allowed as per Indian Copper Corporation Ltd. vs. Commissioner, Commercial Taxes reported at 16 STC 259**

C - Cement Manufacturing Plant - **ITC allowed as per Indian Copper Corporation Ltd. vs. Commissioner, Commercial Taxes reported at 16 STC 259**

उक्तानुसार खनन कार्य में प्रयुक्त माल हेतु चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार व वि–निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर चाही गयी आगत कर की मुजरा राशि को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी है ।

19. माननीय न्यायालय द्वारा रियायती दर पर मशीनों को वि–निर्माण कार्यों के संबधं में क्रय करने को उचित होना अवधारित किया गया है एवम् अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा भी उक्तानुसार ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को पूंजीगत वस्तुओं तथा उनके अतिरिक्त पुर्जे, लुब्रीकेन्ट के संबंध में चुकाये गये कर/वैट का आगत कर का मुजरा चाहा गया था, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है परन्तु जहां तक खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों पर चुकाये गये कर का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानान्तगर्त जो निम्नांकित है, आगत कर का मुजरा देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार किया गया है।

अधिनियम की धारा 18.– Input Tax Credit. – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter–State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

लगातार..............9

(e) being used as raw material ***,"except those as may be notified by the State Government,"*** in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or

(f) ***"being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale"*** in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section.

अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुओं में से उन्हीं वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा देय होगा जो वि–निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होंगे। उक्त तथ्य अधिनियम की धारा 2(7) में वर्णित "पूंजीगत वस्तु" की परिभाषा से स्पष्ट है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निर्माण प्रक्रिया से अन्यथा प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा संबंधी प्रावधान अधिनियम में नहीं हैं।

20. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही **मैसर्स चौगले एण्ड कं० प्रा० लि०** के प्रकरण में विनिर्माण से पूर्व खनन की प्रक्रिया के विषय में उक्त उद्धरित अंश में स्पष्ट किया गया है जो हस्तगत प्रकरण में उचित रूप से लागू होता है।

21. इसी प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत उपर्युक्त वर्णित माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विहित नियम 57Q (तत्समय प्रवृत केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के नियम 2(a)) नियम 3 क विशिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत मोडवेट/समवेट देय होना उचित ठहराया गया है जो आगत कर का मुजरा हेतु अधिनियम की धारा 18 के विशिष्ट प्रावधानों से सर्वथा भिन्न है, में लागू नहीं किये जा सकते हैं ।

22. इसी प्रकार प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों में पंजीयन प्रमाण पत्र में इन्द्राज किये गये माल को कच्चे माल मानने अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज करने को अनुमत हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं जो अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत् आगत कर की मुजरा राशि दिये जाने के संबंधी प्रावधानों से सर्वथा भिन्न है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है ।

लगातार............10

23. जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा **मैसर्स कृष्णा कुमार बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया (1990) 4 एस.एस. सी. 207** में प्रतिपादित **Doctrine of Precedent** लागू किये जाने का प्रश्न है, उक्त तर्क व माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत या तो कच्चे माल के पंजीयन प्रमाण में दर्ज करने, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी) के तहत् प्रसंस्करण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को घोषणा प्ररूप "सी" के आधार पर क्रय करने हेतु अनुमत करने अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत् अनुमत कच्चे माल/पूंजीगत वस्तुओं पर मोडवेट/सेमवेट अनुमत करने से संबंधित हैं जो अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के संबंध में Settled decision नहीं है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत **Doctrine of Precedent** को यह पीठ ससम्मान व्यक्त कर, यह पीठ हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य होना नहीं अवधारित करती है।

24. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स जे. के. स्पिनिंग व वीविंग मिल्स** के प्रकरण के निर्णय का अंश भी उद्धरित किया है, जिसमें माल के विनिर्माण में उस प्रक्रिया को भी अनिवार्य माना है,जिसके बिना माल का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्थिति नहीं है। अपीलार्थी द्वारा खनन में प्रयुक्त मशीनरी व उसके पुर्जे आदि विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि केवल उत्खनन में ही प्रयुक्त होते हैं तथा उत्खनन एक निर्माण प्रक्रिया नहीं है। फलस्वरूप, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह पीठ यह अवधारित करती है कि आगत कर का मुजरा केवल वि–निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुमत कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर देय होगा अन्य प्रक्रियाओं में प्रयुक्त वस्तुओं/माल पर देय नहीं होगी।

26. जहां तक अधिनियम की धारा 61के तहत् आरोपित शास्ति का प्रश्न है, इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विगत को छुपाया नहीं गया** माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है । अतः उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।"

लगातार...........11

12. अपीलार्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरण, उन्हीं के प्रकरण में दिये गये उपरोक्त उद्धरित निर्णय से पूर्णतया आच्छादित हैं। ऐसी स्थिति में कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माईनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त आईटम्स पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. के बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश में आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज की पुष्टि की जाती है, साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के निर्णय की भी पुष्टि की जाती है।

13. इसी प्रकार HSD एवं अन्य माल पर आई.टी.सी रिवर्स करने के बिन्दु पर पुनः जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष